

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)  
(पीठसीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

**राजीनामा प्रपत्र**

कैम्प कोर्ट का स्थान : अटल सेवा केन्द्र.....चौगाई.....

सेवामें,

श्रीमान् पीठसीन अधिकारी महोदय,  
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला टोंक (राज.)

दिनांक...18-5-2018

.....राम कृष्ण..... बनाम.....महाबत सिंह.....  
प्रकरण संख्या :-.....24/18..... अन्तर्गत धारा.....88.....

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री.....राम कृष्ण..... का निवेदन..... का निवेदन है कि

उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है:-

यह कि प्रतिवादी की खातेदारी की शूनि कुल मित 16  
कुल रुबा 12 बीघा 16 कित्वा में प्रतिवादीन का 1/2 हिस्सा  
है जितने से मुझ वदी ने 1/2 हिस्से का 1/2 हिस्सा अर्थात कुल  
शूनि का 1/2 हिस्सा खरीदा था लेकिन प्रतिवादी न. 1 ने हमारे एक  
में विक्रय पत्र करवाने के बाद एक विक्रय पत्र खान

अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

- वादी पक्ष
1. ....
  2. राम कृष्ण
  3. ....
  4. [Signature]

- प्रतिवादी पक्ष
1. ....
  2. महाबत सिंह
  3. ....
  4. ....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर.....  
(वादी पक्ष) नाम.....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर.....  
(प्रतिवादी पक्ष) नाम.....

प्रार्थी/वादी..... एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी.....  
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह० सदस्य)

(ह० सदस्य)

(ह० सदस्य)

([Signature])  
पीठसीन अधिकारी

378 रकबा। नीधा पबित्वा सुशीला देवी का रिकॉर्डमल  
को बेचान कर दिया है जिसका नामान्तकरण खुल चुका  
है इसलिए अब मुझ वारी के विक्रय पत्र  
का नामान्तकरण खोलने में राजत्व रिकॉर्ड में  
मिलता जाने के कारण नामान्तकरण नहीं खुल  
सका रहा है इसलिए हम वारी व प्रतिवादी ना। ने  
बेहतर लोक अदालत की भावना से राजीनामा  
कर लिया है ख. नं. 378 रकबा। नीधा पबित्वा  
को बेहतर शेष खतरा नमूने में प्रतिवादी ना।  
का दृष्टिकोण है जिसका  $\frac{1}{3}$  अर्थात् कुल का  $\frac{1}{12}$   
हिस्से वारी को खोदना कारतकार घोषित किया  
जावे। वारी का दावा डिक्री किया जावे-  
इससे हम वारी व प्रतिवादी सहमत है और अपने  
हस्ताक्षर किए हैं।